स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
192 ए.वी.एन. टॉवर, भोपाल, फोन नं. 0755–4001680, ई–मेलः spdmpwb@gmail.com

//आदेश//

दिनांक 10 /07/2020

क्रमांक 642 /वि.बैं.परि./2020 – सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–87/2019/1/4 दिनांक 02 दिसम्बर 2019 द्वारा साधिकार समिति तथा म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 1008/03/रूसा/सी.सी./19/38 दिनांक 04.12.2019 द्वारा कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। उक्त के परिपालन में रूसा तथा विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विभिन्न कार्यों की स्वीकृतियाँ राज्य स्तर पर प्रदान की जाती है।

अधिकांश विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में उक्त दोनों परियोजनाएं एक साथ क्रियान्वित की जा रही है तथा इन संस्थानों द्वारा इसकी कार्य योजना भी बहुत पहले ही तैयारी की गई है। ऐसी स्थिति में कार्यों की पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 के निर्णय के परिपालन में साधिकार एवं कार्यकारी समिति के समक्ष विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रस्तवों को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व परीक्षण करने हेतु एतद द्वारा राज्य स्तरीय निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है–

1. डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव, वि.क.अ. (आई.टी.), उच्च शिक्षा संचालनालय।
2. डॉ. प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल, वि.क.अ., राज्य परियोजना संचालनालय (रूसा), भोपाल।
3. डॉ. सुनील कुमार सिंह, वि.क.अ., प्रभारी (विश्व बैंक परियोजना), भोपाल।
4. डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा, वि.क.अ., प्रभारी अधिकारी (रूसा)।
5. श्री आर.एन. त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक, रूसा/विश्व बैंक परियोजना, उच्च शिक्षा।
6. विषय विशेषज्ञ (विशेष आमंत्रित)।

उक्त सदस्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों, जिसमें दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत संबंधित संस्थानों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुकेश कुमार शुक्ल)
आयुक्त
उच्च शिक्षा

क्रमांक 643 /2020/ **दिनांक 10 /07/2020**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, संबंधित विश्वविद्यालय की आरे सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
5. संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा